क्र0	सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारी की बाध्यताएं (धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत)
	प्रस्तावना
1.	राज्य सूचना आयोग की विशिष्ठियां, कृत्य और कर्तव्य
2.	राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारी व अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य
3.	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रकिया
4.	राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थापित मापमान
5.	राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम एवं अनुदेशों का विवरण
6.	राज्य सूचना आयोग में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण
7.	नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण
8.	राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत गठित मण्डल, परिषद,कमेटियाँ
9.	राज्य सूचना के पदाधिकारी, अधिकारियों की निदेशिका
10.	आयोग के पदाधिकारी, अधिकारी/कर्मचारियों को प्राप्त मासिक वेतन की जानकारी
11.	आयोग को आवटित बजट
12.	अनुदान सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी
13.	राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों ,अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टयां
14.	इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध जानकारी
15.	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं का विवरण
16.	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण
17.	अन्य उपयोगी जानकारियाँ

कंडिका (1)
राज्य सूचना आयोग की विशिष्ठियॉं, कृत्य एवं कर्तव्य

इस अधिनियम का मूल मन्तव्य यह है कि लोकतांत्रिक शासन में सरकार और सरकारी मशीनरी जनता के प्रति जवाबदेह हो तथा सरकारी मशीनरी के कियाकलापों में पारदर्शिता हो । इस अधिनियम के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है जिसके अंतर्गत कोई भी नागरिक लोक प्राधिकारी के कार्यकलापों के संबंध में सूचना प्राप्त कर सके । लोक प्राधिकारी की परिभाषा इस प्रकार की है जिससे न केवल प्रशासनिक तंत्र के संबंध में कोई भी नागरिक जानकारी प्राप्त कर सकता है बल्कि उन सभी निकायों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकता है जो लोक प्राधिकारी से नियंत्रित होते हैं या 2 लाख या उससे अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। अधिनियम में यह व्यवस्था भी की गई है कि यदि लोक सूचना अधिकारी द्वारा संबंधित को समय पर सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ऐसे अधिकारियों को, राज्य सरकार द्वारा गठित राज्य सूचना आयोग द्वारा दण्डित किया जा सकता है । सूचना का अधिकार अधिनियम जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से लागू हो चुका है।

छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 15 के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन, अधिसूचना क्र0 एफ–7–16/2005/1/6, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 द्वारा किया गया है । छत्तीसगढ़ में आयोग का गठन होने के उपरांत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री ए0के0 विजयवर्गीय, सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त किया गया है, जिन्होंने शपथ ग्रहण कर अपने पद का कार्यभार दिनांक 07.11.2005 को ग्रहण किया है।

यह आयोग विधि अनुसार कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय रायपुर में रखा गया है। आयोग का कार्यालय निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़, शंकर नगर, रायपुर में स्थापित किया है।

राज्य सूचना आयोग का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन एवं प्रबंधन के कार्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित हैं एवं उनके कर्तव्य व शक्तियॉं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में उल्लेखित है ।

राज्य सूचना आयोग के मुख्यालय का पता, कार्यालयीन समय एवं अवकाश की स्थिति निम्नानुसार है :

(1) छत्तीसगढ़ सूचना आयोग का पता :
छत्तीसगढ़ सूचना आयोग,
निर्मल छाया भवन,
मीरा दातार रोड़,
बाटल हाऊस के पास,
शंकर नगर, रायपुर,छत्तीसगढ़
पिन कोड–492007

(2) कार्यालयीन समय
प्रातः 10.30 बजे . सांय 5.30 बजे नियत

(3) अवकाश
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित सार्वजनिक अवकाश ही आयोग हेतु मान्य किए गए हैं।

कंडिका (2)

आयोग के पदाधिकारी व अधिकारियों/कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

राज्य सूचना आयोग की शक्तियॉ

शिकायत

अधिनियम के अध्याय 5 में आयोग की शक्तियॉ तथा कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। राज्य सूचना आयोग, ऐसे व्यक्ति शिकायत प्राप्त करके उसकी जॉच कर सकता है :—

(क) जो, यथास्थिती, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है, या , यथास्थिति केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा(1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है।

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय—सीमा के भीतर सूचना के पहुंच के लिए अनुरोध का कोई उत्तर नहीं दिया गया।

(घ) जिससे फीस की रकम का संकाय करने की अपेक्षा की गई है जो वह अनुचित समझता है।

(ड़) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है।

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने का उन तक पहुच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

राज्य सूचना को धारा 18(1) के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वहीं शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय के निहित होती है।

अपील

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 के अनुसार अपील का प्रावधान :—

1. यदि अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत किसी व्यक्ति को निर्णय प्राप्त नहीं होता है, या वह निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो 30 दिनों के भीतर वरिष्ठ सक्षम प्राधिकारी के पास प्रथम अपील कर सकता है।
2. यदि किसी अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने से रोका गया हो या ऐसा पर्याप्त कारण हो तथा सक्षम प्राधिकारी उन कारणों से संतुष्ट है तो वह 30 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् भी अपील पर सुनवाई कर सकता है।
3. तृतीय पक्षकार के मामले में भी तृतीय पक्षकार चाहे तो 30 दिवस के भीतर अपील कर सकेगा।
4. द्वितीय अपील के अंतर्गत पूर्व के सक्षम प्राधिकारियों के निर्णय के विरूद्ध निर्णय दिनांक से 90 दिनों के भीतर राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है। राज्य सूचना आयोग किसी मामले मेंसमय सीमा 90 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात पर्याप्त कारणों के आध्धर पर द्वितीय अपील की सुनवाई कर सकता है।
5. राज्य सूचना आयोग अपील के प्रकरणों में सक्षम प्राधिकारण और अपीलकर्ता को नोटिस जारी करेगा।
6. राज्य सूचना आयोग अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप सुनवाई करेंगा।
7. इस अधिनियम में न्यायालयों की अधिकारियों के संबंध में भी उल्लेख है कि कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अंतर्गत पारित किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद या आवेदन प्राप्त करने या अन्य कार्यवाही को संचालित करने हेतु सक्षम नहीं होगा।

दण्ड का प्रावधान

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20(1) के अनुसार दण्ड प्रावधान :—

जहां राज्य सूचना आयोग ऐसे किसी मामले में किसी शिकायत या अपील के निराकरण में पता है कि जन सूचना अधिकारी ने बिना किसी कारण सूचना के अनुरोध को अस्वीकृत किया है या नियत समय में सूचना देने में असफल हुआ है या सूचना पूरी नहीं दी, या दी गई सूचना दिग्भ्रमित करने वाली है या विषय–वस्तु भटकाने वाली है तो दण्ड का प्रावधान है जो प्रतिदिन रू. 250/– से लेकर अधिकतम रू. 25,000/– हो सकता है।

- दण्ड का निर्णय देने से पूर्व सूचना अधिकारी को उन कारणों को स्पष्ट करने हेतु आयेाग अवसर प्रदान करेगा, जिसके कि कारण उसने सूचना नहीं दी । उसे उसके द्वारा लिए गए निर्णय को सत्य सिद्ध करने का मौका प्राप्त होगा। आयोग चाहे तो सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की अनुशंसा भी कर सकता है।

क्रं.	अधिकारी का नाम व पद	सौंपे गए कार्य
01	श्री के.एल.ग्वाल उपसचिव	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ़, जांजगीर–चाम्पा एवं कवर्धा जिले के अपील प्रकरणों का संधारण एवं उन पर समस्त कार्यवाही। 2. वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। 3. राज्य शासन, भारत सरकार एवं विभागाध्यक्षों से पत्र व्यवहार। 4. समस्त शासकीय निर्देशों एवं नियमों का संकलन एवं उन पर कार्यवाही। 5. मुख्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
02	श्री के.के. गुप्ता उपसचिव	1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत रायपुर,, दुर्ग, महासमुंद, धमतरी, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर–चाम्पा, रायगढ़, कोरबा, कोरिया, जशपुर एवं सरगुजा जिले के शिकायत प्रकरणों की प्रस्तुति की, कार्यवाही एवं संधारण। 2. छ.ग. सूचना आयोग के जन सूचना अधिकारी के रूप में समस्त कार्य। 3. प्रभार से संबंधित जिलों के शिकायत के संबंध में वार्षिक जानकारी तैयार करना। 4. मुख्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
03	श्री डी. एस.त्रिपाठी, लेखाधिकारी	1. आयोग से सबंधित लेखा एवं आडिट संबंधी समस्त कार्य। 2. आयोग के बजट एवं व्यय के पत्रकों का संधारण एवं समस्त कार्य। 3. आयोग के द्वारा क्रय किए जाने वाली वस्तुओं एवं स्टोर से संबंधित समस्त कार्य। 4. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर एवं बीजापुर जिले के अपील संबंधी प्रकरणों का संधारण प्रस्तुती एवं समस्त कार्यवाही। 5. आवक–जावक शाखा का नियंत्रण। 6. मुख्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
04	श्री सुदेश तिवारी जन संपर्क अधिकारी	**1.** आयोग के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में आयोग के कार्यो का प्रचार एवं प्रसार। **2.** आयोग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी का समस्त कार्य एवं कैशबुक, बिल बुक आदि का संधारण। **3.** आयोग के शासकीय सेवकों की स्थापना से संबंधित समस्त कार्य। **4.** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, कवर्धा, नारायणपुर एवं बीजापुर जिले से प्राप्त शिकायत प्रकरणों का संधारण प्रस्तुति एवं समस्त कार्यवाही। **5.** प्रभार से संबंधित जिलों के शिकायत के संबंध में वार्षिक रिर्पोट तैयार करना। **6.** मुख्य सूचना आयुक्त एवं सचिव के द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

क्रं	कर्मचारी का नाम व पद	कार्य
01	श्री बी.डी. थनापति, अनुभाग अधिकारी	1. कैशबुक, बिल बुक लिखना एवं कैश संबंधित समस्त कार्य। 2. शासकीय धन राशि प्राप्त करना एवं भुगतान करना एवं विभागीय रोकड़ बही और इससे संबंधित अभिलेखों का संधारण । 3. आयोग से संबंधित वस्तुओं का क्रय एवं भंडार से संबंधित समस्त कार्य 4. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
02	श्री अरूण कुमार शुक्ला, सहायक ग्रेड – 1	1. समस्त प्रकार के देयकों को तैयार करना व इसमें संबंधित अभिलेख संधारण व पत्राचार करना। 2. बजट एवं लेखा संबंधी समस्त कार्यो का पत्राचार एवं लेखाए संधारण महालेखाकार कार्यालय में व्यय आकड़ों का मिलान। 3. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
03	श्री फहीम खान सहायक ग्रेड – 3	1. आवक शाखा का कार्य। 2. पुस्तकालय संबंधी पत्राचार एवं लेखा संधारण । 3. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौपे गये कार्य।
04	श्री भागीरथी देवांगन सहायक ग्रेड – 2	1. जावक संबंधी समस्त कार्य एवं अंग्रेजी टाइपिंग के कार्य। 2. शासकीय डाक टिकिटों का लेखा संधारण। 3. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
05	श्री गौतम पटेल राजस्व निरीक्षक	1. उपसचिव के साथ अपील प्रकरणों के समस्त कार्य एवं अपील प्रकरण संबंधी समस्त जानकारी तैयार करना। 2. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
06	श्री बी.आर. साहू, सहा.ग्रेड–2	1. अवर सचिव/लेखाधिकारी के साथ अपील–शिकायत प्रकरणों के समस्त कार्य एवं शिकायत प्रकरणों से संबंधित समस्त जानकारी तैयार करना। 2. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
07	कु. आरती भटनागर, सहायक प्रोग्रामर	1. आयोग के मासिक एवं वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करना। 2. स्थापना शाखा। 3. स्थापना संबंधी पत्राचार एवं संबंधित अभिलेखों का संधारण । 4. आयोग द्वारा अपील एवं शिकायत के पारित आदेशों का NIC में भेजने संधारण । 5. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
08	श्री मंगलेश्वर साहू, डाटा एन्ट्री आपरेटर	1. अपील एवं शिकायत प्रकरणों का कम्प्यूटर में मुद्रण कार्य। 2. शासन से संबंधित पत्राचार तैयार करना। 3. श्री तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी के साथ संलग्न। 4. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।
09	श्री ईश्वर ध्रुव डाटा एन्ट्री आपरेटर	1. अपील एवं शिकायत प्रकरणों के आदेश एवं संबंधित पत्राचार का रखरखाव एवं कम्प्यूटर मुद्रण कार्य। 2. उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर सौंपे गए अन्य कार्य।

कंडिका –3
विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया

मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा अपील प्रकरणों के निराकरण के लिए जो प्रकिया आयोग में निर्धारित की गई है वह निम्नानुसार है :–

1. अपील तीन प्रतियों में प्रस्तुत की जाएगी ।
2. यदि अपील में तृतीय पक्ष भी पक्षकार है तो अपीलार्थी के द्वारा 04 प्रतियों में अपील प्रस्तुत की जावेगी।
3. अपील में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश होगा:–
    i. अपीलार्थी का नाम व पता
    ii. प्रतिअपीलार्थी का नाम व पता
    iii. जिस आदेश के विरूद्ध अपील हुआ है, आदेश कमांक एवं दिनांक
    iv. प्रकरण के संक्षिप्त बिन्दु
    v. अपील के आधार
    vi. अधिनियम की धारा 19(8)(ख) एवं धारा 20(1) के अंतर्गत की गई अपील हेतु मांगी गई सहायता ।
    vii. कोई अन्य बिन्दु जो अपीलार्थी आवश्यक समझे।

4. अपील आवेदन के साथ आदेश की प्रमाणित/सत्यापित प्रति संलग्न होना आवश्यक है, जिसके विरूद्ध अपील की गई है।
5. जन सूचना अधिकारी के द्वारादिया गया आदेश, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील की गई है।
6. यदि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, तो उसका उल्लेख अपील में कियए जावेगा।
7. सूचना अधिकारी को दिये गये आवेदन एवं दिये गये शुल्क की प्रति सूचना अधिकारी द्वारा यदि कोई जानकारी दी गई हो तो उस अधूरी जानकारी का आधार।
8. अपील के साथ ⊗ राज्य शासन द्वारा निर्धारित शुल्क रू0 100/– का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प ~~संलग्न होगा~~ । अपील के लिए निर्धारित शुल्क नकद राज्य सूचना आयोग में प्रस्तुत किया जा सकता है और उसकी रसीद प्राप्त की जा सकती है ।
9. यदि अधिनियम के द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर अपील प्रस्तुत नहीं हुई हो तो विलंब का कारण एवं आधार।
10. अपील में प्रस्तुत अभिलेखों में कोई कमी हो तो कार्यलय द्वारा आवेदक को सूचित किया जावेगा तथा 15 दिनों के अंदर अभिलेखों की पूर्ति करने के लिए कहा जावेगा। यदि अभिलेखों की पूर्ति समय पर नहीं होती है। तो आवे~~द~~क को सूचना देकर अपील पर अग्रिम कार्यवाही नहीं की जावेगी।

⊗ चालान ~~[illegible]~~ अथवा मनीआर्डर से जमा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त

कंडिका -4

राज्य सूचना आयोग द्वारा स्थापित मापमान

आयोग द्वारा प्राप्त शिकायतों/अपीलों के निराकरण के लिए पत्रकारों को उचित अवसर प्रदान करते हुए युक्ति युक्त समय में अपील/शिकायत प्रकरणों का निराकरण किया जाता है।

2/ अधिनियम की धारा 25(1) के प्रावधानों के तहत वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन कलेण्डर वर्ष की समाप्ति पर तैयार किया जाकर शासन को भेजा जाता है।

कंडिका–5

राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत संधारित नियम, विनियम, अनुदेशों का विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित नियम,विनियम, निर्देश, अनुदेशों का विवरण निम्नानुसार है :–

1. शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत आवेदन शुल्क एवं जानकारी देने व अभिलेख निरीक्षण के संबंध में नियम 1 अक्टूबर 2005।
2. छ.ग.शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 27 के अंतर्गत प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील से संबधित नियम 17 मार्च 2006।
3. छ.ग. शासन द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 27 के अंतर्गत शुल्क एवं प्रचार नियम 2007 ।
4. छ.ग. सूचना अधिकार(अपील) नियम 2006 संबंधी अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर 2006।
5. छ.ग. सूचना अधिकार (शुल्क एवं विनियमन) नियम 2005 संबंधी अधिसूचना/संशोधन दिनांक 12 अक्टूबर 2006।
6. संस्था/शाखा/संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों से छूट संबंधी अधिसूचना दिनांक 22 अक्टूबर 2005।

कंडिका–6

राज्य सूचना आयोग में संधारित पंजियों व दस्तावेजों का विवरण

राज्य सूचना आयोग के विभिन्न शाखाओं में निर्धारित पंजियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	शाखा का नाम	शाखा का कार्य विवरण
1.	अपील शाखा	अपील पंजीयन पंजी, अपील प्रकरणों से संबंधित आदेश पत्रों एवं आदेशों का संधारण
2.	शिकायत शाखा	शिकायत पंजीयन पंजी, शिकायत प्रकरणों से संबंधित आदेश पत्रों एवं आदेशों का संधारण
3.	लेखा शाखा	केश बुक, बिल रजिस्टर
4.	भण्डार शाखा	जनरल स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, इश्यू रजिस्टर, विविध क्रय रजिस्टर,
5.	आवक जावक शाखा	आवक पंजी, जावक पंजी

कंडिका–7

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या
जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनाई गई व्यवस्था का विवरण

राज्य सूचना आयोग से संबंधित नहीं है।

कंडिका–8

राज्य सूचना आयोग के अंतर्गत गठित मण्डल, परिषद, कमेटियॉ

राज्य सूचना आयोग [illegible] से संबंधित नहीं है।

<u>कंडिका–9</u>

राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारी, अधिकारियों की निर्देशिका

राज्य सूचना आयोग के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों के कार्यालय एवं निवास के दूरभाष एवं पते की जानकारी निम्नानुसार है :–

क्र.	अधिकारी का नाम	दूरभाष		फैक्स नम्बर	निवास का पता
		कार्यालय	निवास / मोबाईल		
1	श्री ए.के. विजयवर्गीय मुख्य सूचना आयुक्त	4024406	2331012, 2331412, मोबा. 98261-66122	4024234	डी–5, सिविल लाईन, रायपुर
2	श्री एस.पी. त्रिवेदी सचिव	4025868	4701414	-	डी–5, शासकीय इंजीनियरिंग कालेज कालोनी, यूनिवर्सटी रोड, रायपुर
3	श्री के.एल. ग्वाल उपसचिव	4025706	मोबा. 93292-59556 –	-	एफ–4, सिविल लाईन, रायपुर
4	श्री के.के गुप्ता उपसचिव	4024406	मोबा. 98271-02562	-	c/o श्री एस.एल. गुप्ता,एडव्होकेट 103, आनंद नगर, रायपुर
5	श्री डी.एस. त्रिपाठी लेखाधिकारी	4024235	मोबा. 94255-08427	-	Sr. MIG 207, न्यू विजेता काम्पलेक्स राजेन्द्र नगर, रायपुर
6	श्री सुदेश तिवारी जन संपर्क अधिकारी	4024235	मोबा. 94252-09174	-	Sr. MIG 208, न्यू विजेता काम्पलेक्स राजेन्द्र नगर, रायपुर

कंडिका—10

आयोग के पदाधिकारी,अधिकारी/कर्मचारियों का प्राप्त मासिक वेतन का विवरण

क्र.	पदाधिकारी,अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	पदनाम	वेतनमान
1.	श्री ए.के.विजयवर्गीय	मुख्य सूचना आयुक्त	30,000/– (मुख्य सूचना आयुक्त का पद केन्द्रीय चुनाव आयुक्त के समकक्ष है, जिसे अधिनियम के द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष घोषित किया गया है)
2.	श्री एस.पी.त्रिवेदी	सचिव	18400-22400(संविदा)
3.	श्री के एन ग्वाल	उपसचिव	12000-16500 (संविदा)
4.	श्री के के गुप्ता	उपसचिव	12000-16500 (प्रतिनियुक्ति)
5.	श्री जे पी महमल्ला	स्टॉफ आफिसर	10000-15200 (प्रतिनियुक्ति)
6.	श्री डी एस त्रिपाठी	लेखाधिकारी	8000-13500 (संविदा)
7.	श्री सुदेश तिवारी	जनसंपर्क अधिकारी	8000-13500 (प्रतिनियुक्ति)
8.	श्री बी डी थनापति	अनुभाग अधिकारी	5500-9000 (प्रतिनियुक्ति)
9.	श्री भुवन डेकाटे	निज सहायक	5500-9000 (संलग्न)
10.	श्री गौतम पटेल	राजस्व निरीक्षक	4000-6000 (संलग्न)
11.	श्री ए.के.शुक्ला	सहायक ग्रेड–1	04500-07000 (संविदा)
12.	श्री बी.आर.साहू	सहायक ग्रेड–2	04000-06000 (संविदा)
13.	श्री भागीरथी देवांगन	सहायक ग्रेड–2	04000-06000 (कलेक्टर दर पर)
14.	श्री फहीम खान	सहायक ग्रेड–3	03050-04590 (प्रतिनियुक्ति)
15.	कु. आरती भटनागर	सहायक प्रोग्रामर	05000-08000 (संविदा)
16.	श्री मंगलेश्वर साहू	डाटा एंट्री आपरेटर	03500-05200 (संविदा)
17.	श्री ईश्वर ध्रुव	डाटा एंट्री आपरेटर	03500-05200 (संविदा)
18.	श्री संतोष पैकरा	वाहन चालक	03050-04590 (संलग्न)
19.	श्री नासिर अहमद खान	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर
20.	श्री अमित मिश्रा	वाहन चालक	कलेक्टर दर पर
21.	श्री मनोज कुमार	भृत्य	कलेक्टर दर पर
22.	श्री धनुष प्रसाद	भृत्य	कलेक्टर दर पर
23.	श्री उमाशंकर	भृत्य	कलेक्टर दर पर
24.	श्री फणीन्द्रभूषण	भृत्य	कलेक्टर दर पर
25.	श्री रामसम्भार दुबे,	भृत्य	कलेक्टर दर पर
26.	श्री खगेश दीवान,	भृत्य	कलेक्टर दर पर
27.	श्री महेन्द्र कुमार,	भृत्य	कलेक्टर दर पर
28.	श्री शकर सेन्द्रे	फर्राश	कलेक्टर दर पर

टीपः— श्री के.के.गुप्ता,अवर सचिव को उपसचिव के पद पर held Abeyance में रखा गया है।

कंडिका –11
आयोग को आवंटित बजट

राज्य सूचना आयोग को वित्तीय वर्ष 2008-09 आवंटित बजट का विवरण। आयोग का व्यय नॉन–प्लान के अंतर्गत है, जिसमें वेतन, कार्यालयीन व्यय मुख्य रूप से है।

कं.	मद	2008-09 में शासन द्वारा आबंटित राशि
1	2	3
1.	**01– वेतन भत्ते आदि**	
	001 - वेतन	25.00
	002 - महंगाई वेतन	12.50
	003 - मंहगाई भत्ता	17.00
	006 - मकान किराया भत्ता	2.12
	014 - अन्य भत्ते	2.33
	015 - चिकित्सा व्यय पूर्ति	1.94
	020 - त्यौहार अग्रिम	0.25
	021 - घटाईये-वापसियां	(-) 0.25
	022 - अनाज अग्रिम	0.50
	023 - घटाइये-वापसियां	(-) 0.50
	024 - चिकित्सा अग्रिम	0.70
	025 - घटाइये-वापसियां	(-) 0.70
	योग उद्येश्य-01	**60.89**
2.	**02– मजदूरी**	
	004 - अन्य आकस्मिक मजदूरी	4.00
3.	**03 - यात्रा भत्ता**	
	001- यात्रा भत्ता दौरे आदि पर	4.00
	006 - अवकाश यात्रा सुविधा	2.00
	योग उद्येश्य-03	**6.00**
4.	**04 - कार्यालय व्यय**	
	001 - डाकतार व्यय	0.75
	002 - दूरभाष व्यय	2.50
	003 - फर्निचर एवं कार्या.उपकरण	1.00
	004 - पुस्तकें एवं नियतकालिक पत्रिकायें	0.50

	005 - बिजली एवं जल प्रभार	3.00
	007 - लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	3.00
	008 - अन्य आकस्मिक व्यय	3.00
	009 - सूचना प्रौद्योगिकी	17.00
	011 - पेट्रोल तेल आदि	4.50
	013 - किराया महसूल कर	5.00
	योग उद्येश्य-04	**40.25**
5.	**05 - प्रशिक्षण**	
	001 - अधि/कर्म. का प्रशिक्षण	5.00
6.	**09 - विज्ञापन एवं प्रचार**	2.00
7.	**24 - अनुरक्षण कार्य**	
	001-मोटर गाड़ी	1.00
	002 - मशीन तथा उपकरण	1.00
	012- अन्य अनुरक्षण कार्य	0.20
	योग उद्येश्य-24	**2.20**
	योग योजना (6705)	**120.34**

कंडिका 11(अ)

राज्य सूचना आयोग हेतु स्वीकृत पदों का सेट–अप (अमला)

क्र.	स्वीकृत पदों का नाम	वेतनमान	स्वीकृत पद संख्या	भरे हुए पद संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
1.	मुख्य सूचना आयुक्त	30000	01	01	-
2.	सूचना आयुक्त	26000	01	-	01
3.	सचिव	18400-22400	01	01	-
4.	उपसचिव	12000-16500	01	01	-
5.	अवर सचिव	10000-15200	01	01	-
6.	स्टाफ आफिसर	10000-15200	02	01	01
7.	लेखाधिकारी	08000-13500	01	01	-
8.	जन संपर्क अधिकारी	08000-13500	01	01	-
9.	अनुभाग अधिकारी	06500-10500	01	01	-
10.	निज सहायक	05500-09000	04	-	04
11.	सहायक ग्रेड–1	04500-07000	02	01	01
12.	सहायक ग्रेड–2	04000-06000	03	02	01
13.	सहायक ग्रेड–३	03050-04590	04	01	03
14.	सहायक प्रोग्रामर	05000-08000	01	01	-
15.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	03500-05200	02	02	-
16.	वाहन चालक	03050-04590	05	03	02
17.	भृत्य	02550-03200	10	07	03
18.	चौकीदार	02550-03200	01	-	01
19.	फर्राश	02550-03200	01	01	-
	योग		43	25	18

कंडिका–12

अनुदान, सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत व्यय राशि व लाभान्वितों से संबंधित जानकारी

राज्य सूचना आयोग से संबंधित नहीं है।

कंडिका–13

राज्य सूचना आयोग द्वारा अनुदत्त रियायतों ,अनुज्ञापन्नों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्यां

राज्य सूचना आयोग से असंबंधित है।

कंडिका–14

इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी

राज्य सूचना आयोग से संबंधित जानकारी आयोग की वेबसाइट **www.siccg.gov.in** पर उपलब्ध है।

कंडिका–15

सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण

राज्य सूचना आयोग से संबंधित सूचनाएं आयोग में तथा आयोग की वेबसाईट **www.siccg.gov.in** के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। इस वेबसाइट में आयोग के शिकायत एवं अपील प्रकरणों से संबंधित महत्तवपूर्ण निर्णय भी देखे जा सकते है।

कंडिका—16

लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम व अन्य विवरण

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5(1) एवं 19(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग में निम्नानुसार लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी का नियुक्ति की गई है :—

अधिनियम की धारा 5(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष कमांक	अधिनियम की धारा 19(1) के तहत अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम तथा दूरभाष कमांक	कार्यालय का पता
श्री के.के.गुप्ता उपसचिव 0771-4024406	श्री एस.पी.त्रिवेदी सचिव 0771- 4025868	निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड़, बॉटल हाऊस के पास, रायपुर

कंडिका–17
अन्य उपयोगी जानकारियॉ

वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 में अपील अपील/शिकायत प्रकरणों के निपटारा की जानकारी।

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त शिकायतों का जिलेवार विवरण
(दिनांक नवम्बर 2005 से दिनांक 31 दिसम्बर 2006 की स्थिति में)

क्रं.	जिला	प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	शेष
1	रायपुर	301	258	43
2	दुर्ग	132	105	27
3	जांजगीर–चाम्पा	54	45	9
4	कोरबा	22	17	5
5	रायगढ़	46	33	13
6	बिलासपुर	52	41	11
7	सरगुजा	48	40	8
8	धमतरी	18	16	2
9	महासमुंद	22	18	4
10	कोरिया	17	13	4
11	जशपुर	4	3	1
12	राजनांदगांव	52	41	11
13	बस्तर (जगदलपुर)	23	17	6
14	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	8	6	2
15	उत्तर बस्तर (कांकेर)	20	18	2
16	कबीरधाम	9	8	1
	योग	**828**	**679**	**149**

कंडिका 17(ब)

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त अपीलों का जिलेवार विवरण

(दिनांक नवम्बर 2005 से दिनांक 31 दिसम्बर 2006 की स्थिति में)

क्रं.	जिला	प्राप्त अपीलों की संख्या	निराकृत अपीलों की संख्या	शेष
1	रायपुर	207	149	58
2	दुर्ग	77	56	21
3	जांजगीर–चाम्पा	32	15	17
4	कोरबा	20	6	14
5	रायगढ़	51	30	21
6	बिलासपुर	70	42	28
7	सरगुजा	32	11	21
8	धमतरी	5	4	1
9	महासमुंद	25	12	13
10	कोरिया	7	4	3
11	जशपुर	8	6	2
12	राजनांदगांव	31	23	8
13	कबीरधाम	6	4	2
14	बस्तर (जगदलपुर)	10	10	0
15	उत्तर बस्तर (कांकेर)	4	3	1
16	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	0	0	0
	योग	**585**	**375**	**210**

कंडिका 17(क)

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त अपीलों का जिलेवार विवरण
(दिनांक 4 जनवरी 2007 से दिनांक 31 दिसम्बर 2007 की स्थिति में)

क्र.	जिला	प्राप्त अपीलों की संख्या	निराकृत अपीलों की संख्या	शेष
1	रायपुर	296	76	224
2	दुर्ग	208	95	117
3	जांजगीर–चाम्पा	118	23	101
4	कोरबा	94	18	76
5	रायगढ़	51	11	40
6	बिलासपुर	89	21	77
7	सरगुजा	68	23	50
8	धमतरी	24	6	18
9	महासमुंद	39	7	36
10	कोरिया	40	14	26
11	जशपुर	58	51	7
12	राजनांदगांव	60	22	41
13	कबीरधाम	10	3	8
14	बस्तर (जगदलपुर)	40	16	24
15	उत्तर बस्तर (कांकेर)	23	8	15
16	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	0	0	0
17	बीजापुर	0	0	0
18	नारायणपुर	1	1	0
	योग	1224	395	860

कंडिका 17(ख)

	राज्य सूचना आयोग को प्राप्त अपीलों का विभागवार विवरण (दिनांक 4 जनवरी 2007 से दिनांक 31 दिसम्बर 2007 की स्थिति में)			
क्रं.	विभाग	प्राप्त अपीलों की संख्या	निराकृत अपीलों की संख्या	शेष
1	आवास एवं पर्यावरण विभाग	1	0	1
2	खनिज साधन विभाग	4	1	3
3	तक. शिक्षा,जनशक्ति नियोजन विभाग	12	4	8
4	राजस्व विभाग	81	19	77
5	उच्च शिक्षा विभाग	73	27	47
6	लोक निर्माण विभाग	37	7	30
7	सहकारिता विभाग	42	11	31
8	आदिम जाति विभाग	28	6	25
9	गृह विभाग	189	96	96
10	स्कूल शिक्षा विभाग	43	11	32
11	पंचायत एवं ग्रामीण वि. विभाग	249	49	209
12	लोक स्वा. एवं परि.क. विभाग	63	25	38
13	नगरीय प्रशासन विभाग	144	73	71
14	सामान्य प्रशासन विभाग	30	4	26
15	ऊर्जा विभाग	16	3	13
16	परिवहन विभाग	9	1	8
17	वित्त विभाग	4	0	4
18	वाणिज्यिक कर विभाग	3	2	1
19	पशु पालन विभाग	16	2	14
20	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	10	2	8
21	जल संसाधन विभाग	16	6	10
22	विधि विभाग	10	6	4
23	कृषि विभाग	18	9	10
24	महिला एवं बाल विकास वि.	22	4	18
25	वन विभाग	68	20	49
26	खाद्य विभाग	3	0	3

27	श्रम विभाग	9	2	7
28	मत्स्य उद्योग विभाग	0	0	0
29	जनसंपर्क विभाग	3	1	2
30	संसदीय कार्य विभाग	0	0	0
31	लोक यांत्रिकी विभाग	1	0	1
32	योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	3	0	4
33	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	7	0	9
34	संस्कृति विभाग	2	0	2
35	वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग	8	4	4
	योग	**1224**	**395**	**860**

कंडिका 17(ग)

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त शिकायतों का विभागवार विवरण
(दिनांक 4 जनवरी 2007 से दिनांक 31 दिसम्बर 2007 की स्थिति में)

क्रं.	विभाग	वर्ष 2007 में प्राप्त शिकायत संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	शेष
1.	2.	3.	4.	5.
1	आवास एवं पर्यावरण विभाग	2	1	**1**
2	खनिज साधन विभाग	8	7	**1**
3	तक. शिक्षा,जनशक्ति नियोजन विभाग	19	16	**4**
4	राजस्व विभाग	72	48	**35**
5	उच्च शिक्षा विभाग	60	50	**10**
6	लोक निर्माण विभाग	35	25	**14**
7	सहकारिता विभाग	42	36	**8**
8	आदिम जाति विभाग	20	19	**1**
9	गृह विभाग	145	107	**40**
10	स्कूल शिक्षा विभाग	62	50	**13**
11	पंचायत एवं ग्रामीण वि.विभाग	172	134	**38**
12	लोक स्वा. एवं परि.क. विभाग	68	55	**17**
13	नगरीय प्रशासन विभाग	65	53	**17**
14	सामान्य प्रशासन विभाग	17	15	**5**
15	ऊर्जा विभाग	15	12	**5**
16	परिवहन विभाग	3	3	**0**
17	वित्त विभाग	3	3	**0**
18	वाणिज्यिककर विभाग	4	3	**2**
19	पशु पालन विभाग	3	3	**0**
20	वाणिज्य एवं उद्योग विभाग	7	4	**3**
21	जल संसाधन विभाग	17	11	**9**
22	विधि विभाग	2	2	**0**
23	कृषि विभाग	17	7	**11**
24	महिला एवं बाल विकास विभाग	15	7	**8**
25	वन विभाग	44	24	**23**
26	खाद्य विभाग	7	6	**1**

27	श्रम विभाग	7	3	**4**
28	मछली पालन विभाग	1	1	**0**
29	जनसंपर्क विभाग	10	6	**4**
30	संसदीय कार्य विभाग	0	0	**0**
31	लोक यांत्रिकी विभाग	2	2	**0**
32	योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	2	1	**1**
33	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	3	3	**0**
34	संस्कृति विभाग	4	3	**1**
35	वाणिज्यिक कर आबकारी विभाग	7	1	6
	योग	**960**	**721**	**282**

कंडिका 17(घ)

राज्य सूचना आयोग को प्राप्त शिकायतों का जिलेवार विवरण
(दिनांक 4 जनवरी 2007 से दिनांक 31 दिसम्बर 2007 की स्थिति में)

क्र.	जिला	वर्ष 2007 में प्राप्त शिकायतों की संख्या	निराकृत शिकायतों की संख्या	शेष
1.	2.	3.	4.	5.
1	रायपुर	251	174	84
2	दुर्ग	144	115	39
3	जांजगीर–चाम्पा	57	44	19
4	कोरबा	34	26	9
5	रायगढ़	52	42	16
6	बिलासपुर	123	92	32
7	सरगुजा	69	51	22
8	धमतरी	22	17	6
9	महासमुंद	40	26	14
10	कोरिया	21	19	5
11	जशपुर	15	11	4
12	राजनांदगांव	65	54	13
13	बस्तर (जगदलपुर)	24	16	10
14	दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा)	11	7	4
15	उत्तर बस्तर (कांकेर)	13	11	2
16	कबीरधाम	16	13	3
17	बीजापुर	1	1	0
18	नारायणपुर	2	2	0
	योग	**960**	**721**	**282**